

उपखण्ड न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द (पीतारसीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प बामनियागुला

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बामनियागुला व भूअनि प.ए.बमदा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलभगल /नामक तहसीलदार रेलभगल की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बामनियागुला तहसील रेलभगल जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 20 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र.सं. | ग्राम              | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|--------------------|-------------|--------------------------------------|--|
| L       | <u>बामनियागुला</u> | <u>20</u>   | <u>मांगी पालीखं खेवा बलाई</u>        | <u>मांगी पालीखं खेवा खालवा</u>                               |

उपखण्ड अधिकारी  
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....

क्रमांक:- 421  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 18/10/25

1. तहसीलदार रेलभगल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर/पालना रिपोर्ट गिजवावें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी  
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....